12/3/16 पत्रावली आज लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात है। विपक्षीगण उक्त आराजियात के पड़ोसी है। जिनको भूमि सीमा की जानकारी नही होने से वह आये दिन जमीन की कमी बेशी को लेकर विवाद करते रहते है। इसलिए प्रार्थी अपने खातेदारी आराजियात की पत्थर गढ़ी कराना चाहता है। अन्त मे कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर पत्थर गढ़ी किये जाने के आदेश फरमावे।

हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 मौजा बाडी पटवार हल्का बाडी तहसील विजयनगर के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1697 रकबा 14 बिस्वा व 1703 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 2 बिघा भूमि के खातेदार/काश्तकार दर्ज होना प्रकट आया है। तदनुसार प्रार्थी उक्त भूमि के पत्थर गढ़ी कराने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मौजा बाडी पटवार हल्का बाडी तहसील विजयनगर के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1697 रकबा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 1703 रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 2 बिघा भूमि के पडोसियान को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये पत्थर गडी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी से नियमानुसार 100/- रुपये पत्थर गडी शुल्क वसूल किये जाकर राजकोष मे जमा करवाया जावे। तहसीलदार विजयनगर को देशक्रियो मे रुक्का जारी करे पत्रावली शुमार कैसल होकर दाखिल दफ्तर करे। आदेश आज दिनांक 12/3/16 राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प कोर्ट कार्यालय हाजा पर सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.25 16:59:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: